लोक सुनवाई का विवरण

विषयः— ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् ग्राम धामनघुटकुरी एवं मिलाराबाद क्लस्टर आर्डनरी स्टोन माईन तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) में स्थित 04 संचालित साधारण पत्थर खदानों जो कि गौण खनिज है (1) मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल) ग्राम धामनघुटकुरी, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) खसरा नं. 343 (भाग) कुल रकबा 1.44 हे. उत्खनन क्षमता 16,517 घनमीटर टन प्रतिवर्ष, (2) मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल) ग्राम मिलाराबाद, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) खसरा नं. 389 (भाग) कुल रकबा 2.58 हे. उत्खनन क्षमता 70,883 टन प्रतिवर्ष, (3) मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल) ग्राम धामनघुटकुरी, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) खसरा नं. 343 (भाग) कुल रकबा 1.20 हे. उत्खनन क्षमता 37,744 टन प्रतिवर्ष (4) मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल) ग्राम मिलाराबाद, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) खसरा नं. 389 (भाग) कुल रकबा 2.86 हे. उत्खनन क्षमता 75,636 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 23.04.2025 को आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत् ग्राम धामनघुटकुरी एवं मिलाराबाद क्लस्टर आर्डनरी स्टोन माईन तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) में स्थित 04 संचालित साधारण पत्थर खदानों जो कि गौण खनिज है (1) मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल) ग्राम धामनघुटकुरी, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) खसरा नं. 343 (भाग) कुल रकबा 1.44 हे. उत्खनन क्षमता 16,517 घनमीटर टन प्रतिवर्ष, (2) मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल) ग्राम मिलाराबाद, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) खसरा नं. 389 (भाग) कुल रकबा 2.58 हे. उत्खनन क्षमता 70,883 टन प्रतिवर्ष, (3) मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल) ग्राम धामनघुटकुरी, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) खसरा नं. 343 (भाग) कुल रकबा 1.20 हे. उत्खनन क्षमता 37,744 टन प्रतिवर्ष (4) मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल) ग्राम मिलाराबाद, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) खसरा नं. 389 (भाग) कुल रकबा 2.86 हे. उत्खनन क्षमता 75,636 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई कराने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि तथा पायोनियर में दिनांक 23 मार्च 2025 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 23 अप्रैल 2025 को समय अपरान्ह 12:00 बजे से स्थान— शासकीय प्राथमिक शाला मिलाराबाद, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) में संयुक्त लोक सुनवाई नियत की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई व तामिली भी ली गई।

प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् संयुक्त लोक सुनवाई दिनांक 23.04.2025 को अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बसना, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, तहसीलदार, बसना, नायब तहसीलदार, बसना, मुख्य रसायनज्ञ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 150 जन सामान्य उपस्थित थे। संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः—

1. लोक सुनवाई अपरान्ह 12:00 बजे से प्रारंभ हुई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये हैं, उनकी सूची संलग्नक—01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 1 से 6 तक)।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की संयुक्त लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि आज की जनसुनवाई में उपस्थित जन समुदाय और अन्य जो अधिकारी हैं, सभी का स्वागत है। आज का जो जनसुनवाई कार्यक्रम का अगला चरण जो है इसका परियोजना प्रस्तावक हैं उनके द्वारा अपना पक्ष रखने का है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे परियोजना प्रस्तावक के रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

5. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री शुभम अग्रवाल, पार्टनर, मेसर्स रूही स्टोन क्रशर द्वारा जानकारी प्रस्तुतीकरण के अनुक्रम में संबोधित किया गया कि आज दिनांक 23.04.2025 को शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम मिलाराबाद, तहसील बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) में खनिज साधारण पत्थर खदान क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त गणमान्य एवं उपस्थित समस्त ग्राम वासियों का स्वागत करता हूँ। मैं अध्यक्ष माननीय अपर कलेक्टर की अनुमति से मेरी ओर से मेरी खनिज साधारण पत्थर की खदानों के संबंध में जानकारी देने के लिए नेबैट प्रमाणित मेसर्स अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एंड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करते हैं।

6. कुमारी भूमिका सिन्हा, पर्यावरणीय सलाहकार, मेसर्स अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एंड लेबोरेटरी, ठाणे द्वारा जानकारी प्रस्तुत करते हुए संबोधित किया गया कि माननीय अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त गणमान्य आगंतुक एवं उपस्थित ग्रामवासी। मेसर्स रूही स्टोन क्रशर (पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल) की गौण खनिज साधारण पत्थर खनन परियोजना में आपका स्वागत है। कुल क्लस्टर क्षेत्र 8.08 हे. संयुक्त लोक सुनवाई हेतु जन सूचना के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा 06.03.2025 को पत्र जारी किया गया था। लोक सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण– संयुक्त लोक सुनवाई की जानकारी को दो समाचार पत्रों क्रमशः द पायोनियर दिल्ली एवं हरिभूमि रायपुर में दिनांक 23.03.2025 को प्रकाशित किया गया था। संयुक्त लोक सुनवाई सम्पन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्राम मिलाराबाद व धामनघुटकुरी व आसपास के क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक स्थानों पर जनसुनवाई का दिन, समय और स्थान को मुनादी कराते हुए जन सामान्य को सूचना दी गई। प्रस्तावित परियोजना का आधार– साधारण पत्थर खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियॉ प्राप्त की गई है एवं की जा रही है। शासकीय भूमि पर पत्थर उत्खनन लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थानों पर नियमानुसार दूरी रखते हुए पत्थर उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला महासमुंद, (छ.ग.) द्वारा संबंधित विभागों जैसे– ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अनुमति जांच प्रतिवेदन को जांच लेने के पश्चात् कार्यालय कलेक्टर द्वारा 30 वर्ष के लिए उत्खनिपट्टा अनुबंध किया गया है। आवेदित क्षेत्रों से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। खदान के रिजर्व का विवरण– मेसर्स रूही स्टोन क्रशर रकबा 1.20 हे. के लिए रिकवरेबल रिजर्व 1,84,047.11 टन, मेसर्स रूही स्टोन क्रशर रकबा 1.44 हे. के लिए रिकवरेबल रिजर्व 80,213.25 टन, मेसर्स रूही स्टोन क्रशर रकबा 2.58 हे. के लिए रिकवरेबल रिजर्व 8,71,602.49 टन, मेसर्स रूही स्टोन क्रशर रकबा 2.86 हे. के लिए रिकवरेबल रिजर्व 12,83,243.42 टन, 04 खदानों के प्रस्तावित अधिकतम उत्पादन क्षमता क्रमशः 37,744 टन, 16,517 टन, 70,883 टन, 75,636 टन है। आवेदित खदान के लिए आवश्यकताएं– सभी 04 खदानों में कुल जल की आवश्यकता 25 किलोलीटर प्रतिदिन होगी, बोरवेल से जल की आपूर्ति की जाएगी, सभी 04 खदानों में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 51 व्यक्ति की होगी। छत्तीसगढ़ शासन के आदर्श रोजगार एवं पुनर्वास नीति के अनुसार योग्यता एवं अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। आवेदित चारों खदानों में कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 44 होगी। जलवायु की स्थिति–

अध्ययनकाल मार्च 2024 से मई 2024, ग्रीष्म ऋतु तापमान अधिकतम औसत तापमान 47.33 डिग्री सेंटीग्रेट, न्यूनतम औसत तापमान 14.61 डिग्री सेंटीग्रेट, हवा की औसत गति 2.88 मीटर प्रति सेकंड, प्रभावी पवन की दिशा दक्षिण–पश्चिम, वर्षा 0.00 से 6.3 मिलीलीटर। पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन– वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा के लिए किए गए विश्लेषण के परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गए थे। वायु, जल, मृदा, स्वास्थ्य, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन– लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। परिवहन के लिए ट्रकों को तारपोलीन द्वारा ढंका जाएगा, ओवरलोडिंग को रोका जाएगा, सभी परिवहन साधनों से लिए वैध पीयूसी होना सुनिश्चित किया जाएगा। पौधारोपण– खदान की सीमा में पौधे लगाए जाएंगे। वायु गुणवत्ता– वाहनों की आवाज एवं लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन पर प्रभाव के आंकलन के लिए प्रति 06 माह निगरानी की जाएगी और प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे जहां एक्स्पोजर अनुमेय सीमा से अधिक है नियंत्रण प्रबंधन उपाय या अंतिम उपाय के रूप में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के प्रावधान को लागू किया जाएगा। लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। डीजल इंजनों को नियमित रखरखाव किया जाएगा। कच्ची सड़कों एवं खनन क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। सतह जल प्रबंधन– सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सतही पानी को डायवर्ट करने के लिए गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। भूमिगत जल प्रबंधन– खनिज में कोई विषैला तत्व नहीं होता है इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपशिष्ट जल प्रबंधन– खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। खदान से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोक गढ्ढे बनाए जाएंगे। खनन गतिविधि से पहले सिर्फ मिट्टी को लीज क्षेत्र में संग्रहित किया जाएगा, इसका उपयोग वृक्षारोपण के उद्देश्य से किया जाएगा। वृक्षारोपण के द्वारा लीज क्षेत्र को कव्हर किया जाएगा। जंगली और घरेलू पशुओं के गिरने या फिर कटने के खतरे को कम करने के लिए खदान के चारों ओर तार फेंसिंग किया जाएगा। ऑन साईट प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेगी और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। ध्वनि गुणवत्ता प्रबंधन– ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों और मशीनों का सही रखरखाव किया जाएगा। मशीनों का उचित रखरखाव ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग की जाएगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं खनन क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। खनन उपकरण पर काम करते समय कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए कान में मफ, मास्क और सभी आवश्यक पीपीई किट प्रदान किए जाएंगे। फ्लाई राक व भूकंप को नियंत्रित करने हेतु पंजीकृत ब्लास्टिंग ठेकेदार से नियंत्रित वातावरण में नियंत्रित साईंटिफिक स्कोपी पद्धति अपनाते हुए की जाएगी।

खदान की सीमा क्षेत्र में 4,149 स्थानीय प्रजाति के पौधे जैसे– बरगद, पीपल, बेल, अर्जुन, करंज, नीम, शीशम, कदम आदि पौधे लगाए जाएंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जाएगी। सामाजिक आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव– परियोजनाओं से समीपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नहीं है। अनुमानतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती को प्रभावित नहीं होगी। परियोजनाओं के शुरू होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जाएगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित किया जाएगा, जिसका स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा जिससे निवासरत् लोगों का जीवन स्तर सामान्य से बेहतर होगा। आसपास के गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की सुविधा जैसे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई जाएगी, जिसे ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन, नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किया जाएगा। डीजीएमएस कई स्थाई आदेश, मॉडल स्थाई आदेश और परिपत्र जारी करता है जिनका पालन आपदा के मामले में खान प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। सभी खनन कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा सावधानी एवं भारतीय खान विनियम 1961 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। माइंस नियम 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जाएगी। सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे। श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। खदानों को उचित अग्निशमन सुविधाओं से सुनिश्चित किया जाएगा। परियोजना के लाभ– निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना, रोजगार पैदा करना, अध्ययन क्षेत्र के लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार, भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार, सामाजिक अवसंरचना में सुधार, रोजगार क्षमता में वृद्धि, खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि, अवैध खनन की रोकथाम, राजकोष में योगदान। खान पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं, रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थाई आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा। खदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करेगी। अतिरिक्त परिवहन जैसे कुछ कार्यों का आउटसोर्स किया जाएगा इसलिए खनन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने की उम्मीद है। परियोजना की लागत– 04 खदानों की कुल पूंजीगत लागत राशि रुपए 111.32 लाख रुपए है, 04 खदानों के लिए सीईआर की कुल राशि

2.25 लाख रूपए। व्यक्तिगत पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के चारों ओर वृक्षारोपण एवं एप्रोच रोड, जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़क का रखरखाव खान श्रमिकों के लिए सुविधाएं एवं पर्यावरण की निगरानी इत्यादि के लिए बजट के रूप में कुल पूंजी लागत रुपए में 14,93,955 रुपए, कुल आवर्ती लागत रुपए में 18,38,175 रुपए। संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत रोड में वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी तथा पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जाएगा। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्लस्टर परियोजनाओं के क्रियाकलाप प्रारंभ होने के साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में व स्थानीय निवासियों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढांचे के विकास का अवसर प्राप्त होगा। क्लस्टर परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संसाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह क्लस्टर परियोजनाओं से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा, जो राज्य शासन के वित्तीय विकास में क्षेत्र निवासियों को भागीदारी साबित करेगा। परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियॉ– पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश इत्यादि को नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुतीकरण की प्रति लोक सुनवाई के अध्यक्ष अपर कलेक्टर कार्यालय जिला कलेक्टर, महासमुंद (छ.ग.), क्षेत्रीय अधिकारी राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा सहयोगी दल को प्रस्तुतीकरण की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी गई है आगे की कार्यवाही के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूॅ, धन्यवाद।

अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि अभी आपने जो परियोजना प्रस्तावक हैं उनके कंसल्टेंट ने परियोजना के बारे में जो बात कही जा रही है उसे रखा यहॉ पर। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूॅ कि आप लोगों को इस परियोजना के बारे में 04 परियोजनाएं हैं, इन चारों परियोजनाओं के बारे में आप लोगों को यदि कोई आपत्ति है या आपके कोई सुझाव है, विचार हैं वह आप अपना रख सकते हैं सामने माइक रखा है माइक में आप आकर सामने बोल सकते हैं और आप चाहें तो लिखित में भी दे सकते हैं, ताकि उसका रिकॉर्ड रहेगा और उसका निराकरण भी करके आपको बताया जाएगा और आप मौखिक देते हैं तो तत्काल आपको हमारे द्वारा या उनके जो परियोजना कंसलटेंट हैं, उनके द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा, तो आपसे निवेदन है कि आप आएं, अपना नाम बताएं और आप जहां के वासी हैं वह बताएं और इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं, दावा है, आपत्ति है, कोई शंका है, वह आप रख सकते हैं।

1. श्री लक्ष्मी नारायण प्रधान, ग्राम मिलाराबाद ने कहा कि मैं एक आर्गेनिक फार्मर हूॅ आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूॅगा कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और मैं यह कहना चाहता हूॅ कि क्रशर का काम कंटीन्यूअस चलना चाहिए क्योंकि हमारे गांव में कई ऐसे लघु कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं जिनके खेती किसानी के अलावा और भी कुछ गिट्टी का ट्रांसपोर्टिंग है या ट्रैक्टर लेकर रखे हैं तो उनके मार्फत कुछ कमाई हो जाती है और यह कहना चाहूॅगा कि गवर्नमेंट को रॉयल्टी भी मिलती है इससे तो यह कंटिन्यू चलना चाहिए और अच्छे से चलना चाहिए।

2. श्री पुष्कर चौधरी, ग्राम अनकोरी ने कहा कि यहॉ मैं कार्यरत् हूॅ। क्रशर से तो हमको रोजगार मिलता है तो इससे कोई आपत्ति नहीं है इसकों कंटीन्यू रखना चाहिए।

3. श्रीमती दीपांजलि साहू, ग्राम मुनाराबाद ने कहा कि क्रशर मशीन वाला जो काम है वह चलना चाहिए क्योंकि यहॉ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को यहॉ रोजगार भी मिल रहा है रोजगार के साथ–साथ यहॉ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितना जो सहायता राशि मिलता है तो उस नाम से यहॉ कम रेट में गिट्टी हमारे गांव वालों को अवेलेबल हो जाता है और साथ–साथ हमारा गांव जो है खेती किसानी के साथ–साथ सब्जी भाजी का भी मेन सोर्स है तो हम लोग बिना बाहर जाए यहीं से खरीदकर मतलब हम लोग अपना खाना बना लेते हैं और हमारा जो एक समिति है प्रगतिशील ग्राम विकास समिति उसकी मैं उपाध्यक्ष हूॅ और मैं चाहती हूॅ कि यह कंटिन्यू रहे।

4. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष इंटक छत्तीसगढ़, प्रदेश संरक्षक छत्तीसगढ़ पत्रकार संरक्षण संगठन छत्तीसगढ़ ने कहा कि आज के छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जी, आदरणीय क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी सम्माननीय रबड़े साहब जी, सम्माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमारे पर्यावरण विभाग के हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, हमारे श्रम विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, हमारे खनिज विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण और मेसर्स रूही स्टोन क्रशर के संचालक आदरणीय शुभम अग्रवाल जी एवं समस्त स्टाफ, हमारे जिला प्रशासन के हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, हमारे धामनघुटकुरी, मिलाराबाद के हमारे आदरणीय सरपंच एवं समस्त पंच गण, हमारे आसपास के हमारे स्थानीय जनपद जिला के हमारे सम्माननीय प्रतिनिधि गण, हमारे युवा साथी गण, हमारी माता बहनें, हमारे मातृ शक्ति और हमारे वरिष्ठ गण, आज मेसर्स रूही स्टोन क्रशर प्रोपराइटर शुभम अग्रवाल ग्राम धामनघुटकुरी एवं मेसर्स रूही स्टोन क्रशर प्रोपराइटर शुभम अग्रवाल मिलाराबाद के आज के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का मैं हार्दिक स्वागत

करता हूं, समर्थन करता हूँ । स्वागत और समर्थन इसलिए करता हूँ कि मेसर्स रूही स्टोन क्रशर जो है पूर्व से संचालित है और आज के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई केवल क्षमता विस्तार के लिए आयोजित है, प्रायोजित है। उक्त स्टोन क्रशर जो है संचालित होने से क्षमता विस्तार होने से हमारा धामनघुटकुरी, मिलाराबाद सहित आसपास गांव के हमारे युवा बेरोजगार साथियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उन्हें काम का, रोजगार का व्यवस्था हो पाएगा, जिससे वे अपना और अपने घर परिवार का पालन पोषण आसानी से कर पाएंगे। साथ ही गौण खनिज रायल्टी मद सीएसआर से मिलने वाली राशि से हमारे धामनघुटकुरी एवं मिलाराबाद सहित आसपास गांव का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। साथ ही सरकार को मिलने वाला राजस्व डीएमएफ से हमारे प्रदेश के विकास में भी एक अहम भूमिका साबित होगा। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 2006 के नोटिफिकेशन का पूर्णतः पालन करते हुए आज की पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई हो रही है जिसका मेरे साथ आए हुए इंटक के हमारे सभी पदाधिकारियों सहित आज के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का मैं स्वागत और समर्थन करता हूं। साथ ही हमारे धामनघुटकुरी और मिलाराबाद के कुछ हमारे साथी गण मिले थे जिन्होंने कुछ मांग रखा है जो कि जनहित सार्वजनिक हित में है। तो हमारी मांग यह है कि मेसर्स रूही स्टोर क्रशर में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को जिसमें ड्राइवर, मुंशी, हेल्पर, मशीन ऑपरेटर, मैनेजर मजदूर सहित 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को काम में रखा जाए। मेसर्स रूही स्टोन क्रशर में कार्यरत समस्त कर्मचारी, मजदूरों लोगों को शासन की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत् कलेक्टर दर पर भुगतान होना चाहिए। हैवी ब्लास्टिंग एवं अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध होना चाहिए। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम की धारा 1981 का पूर्णतः पालन होना चाहिए। साथ ही घनी आबादी रहवासी क्षेत्र में जो है सुबह शाम पानी का छिड़काव होना चाहिए। साथ ही मेसर्स रूही स्टोन क्रशर एवं समस्त क्रशर संचालकों को शासन द्वारा एक टारगेट देना चाहिए पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए कि इन्हें 5–5 हजार जो है पेड़ लगाकर उनके संरक्षण और संवर्धन की जवाबदारी इन सभी क्रशर संचालकों का होना चाहिए और इसकी मॉनीटरिंग की जवाबदारी हमारे पर्यावरण विभाग के हमारे अधिकारियों का हमारे खनिज विभाग के हमारे अधिकारियों का और हमारे धामनघुटकुरी, मिलाराबाद के हमारे स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा बीच–बीच में मॉनिटरिंग होना चाहिए। साथ ही खनिज अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, श्रमअधिनियम, राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य अधिनियम सहित शासन के जो है तमाम नियमों को फॉलो करते हुए जो है स्टोन क्रशर संचालित होना चाहिए। साथ ही गिट्टी, बजरी, डस्ट बोल्डर का परिवहन करते समय हमेशा तालपतरी से ढंक कर ले जाना चाहिए ताकि पर्यावरण के साथ–साथ मानव जीवन को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। ओवरलोडिंग जो कई बार देखते हैं कि ओवरलोडिंग जब डस्ट या गिट्टी ले जाते हैं तो बीच में

सड़क में फैला रहता है जिससे कई दुर्घटना होती है कोई बाइक वाला फिसल कर गिर जाता है या साइकिल वाला या आने जाने वाले यह पैदल आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है तो इसको विशेष ध्यान रखते हुए ओवरलोडिंग में प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही गांव के जो अति आवश्यक मूलभूत कार्य है जैसे– नाली है, पानी है, सड़क है, सामुदायिक भवन है, यह जो मूलभूत आवश्यकता के जो काम है इनको विशेष ध्यान देते हुए समय में इसका समाधान होना चाहिए और मैं पुनः आज के मेसर्स रूही स्टोन क्रशर प्रोपराइटर शुभम अग्रवाल ग्राम धामनघुटकुरी एवं मेसर्स रूही क्रशर प्रोपराइटर शुभम अग्रवाल मिलाराबाद के आज के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का स्वागत और समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

5. श्री परदेसी पटेल, डीएमएफ सदस्य, जिला महासमुंद खनिज विभाग ने कहा कि क्रेशर जो चल रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे आसपास के लोगों को रोजगार मिल रहा है और रोजगार मिलना चाहिए और हमारे भैया अभी जो बोले कि स्थानीय आदमी को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए और काम करवाना चाहिए ताकि बेरोजगार जो युवा हैं उन युवाओं को रोजगार मिले और कलेक्टर दर से पैसा मिले। मुझे एक बात और कहना है कि डीएमएफ का जो पैसा वह ग्राम पंचायत द्वारा काम किया जाता है उसको ग्राम पंचायत समिति बनाकर निजी स्तर तक काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम होगा यह बस मेरी मांग है और जैसे डस्ट वगैरह के बारे में भैया ने बताया सही में तालपतरी ढंककर ले जाना चाहिए जैसे कहीं गड्ढा वढ्ढा हो रहा है ओवरलोडिंग हो रहा है वहॉ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और वृक्षारोपण के बारे में कितना वृक्षारोपण लगना चाहिए आसपास में। आसपास के किसानों को भी कुछ न कुछ क्रेशर मशीन या शासन द्वारा उन्हें अनुदान मिलना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूॅ कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाये।

6. श्री सुखदेव प्रसाद बंजारे, इंटक कार्यकर्ता एवं प्रेस मीडिया ने कहा कि हमारा प्रिंट मीडिया ओपन मीडिया चलता है तो मैं ग्राम वासी समस्त जो दो गांव में धामनघुटकुरी और मिलाराबाद में जो क्रेशर खुल रहा है उन लोगों को मैं यह बधाई देना चाहता हूॅ कि वह लोग अपने काम के प्रति जागरूक रहें हम अपना अधिकार लेने के लिए जागरुक रहेंगे। बीच–बीच में हम लोग जैसे इधर दौरा में आते हैं तो इधर क्या काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रोजी रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है या जो क्रेशर के आसपास का जो वातावरण या आवागमन में कोई जो कोई बाधा है या नहीं है उसको हम लोग अपने प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में उठाते रहेंगे तो मैं मेसर्स रूही क्रेशर पार्टनर शुभम अग्रवाल जी का क्रेशर ओपनिंग के लिए समर्थन देता हूं।

7. श्रीमती गीता साहू, ग्राम मिलाराबाद ने कहा कि मैं मितानिन का काम करती हूँ, स्वास्थ्य सेवा करती हूँ हमारा छोटा सा परिवार है और हमारा खुद का ट्रैक्टर है हम क्रशर मशीन से गिट्टी देते हैं और रोजगार कमाते हैं और जो भी लाभ मिलता है वह लाभ मिलते रहना चाहिए।

8. श्रीमती गायत्री प्रधान, ग्राम मिलाराबाद ने कहा कि हमारा एक छोटा सा दुकान है और हम लोग खेती किसानी करते हैं, सब्जी भाजी उगाते हैं, जिसे आसपास के बाजार में ले जाकर बेचते हैं, उसी से आमदनी होती है।

अपर कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि और किसी को अपने विचार रखने हो तो आ जाइए।

9. श्री अंतर्यामी प्रधान, ग्राम मिलाराबाद ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय अपर कलेक्टर, खनिज विभाग के समस्त अधिकारी गण और हमारे सम्माननीय मंच और रूही स्टोन क्रेशर के समस्त अधिकारी गण और इस ग्राम मिलाराबाद और धामनघुटकुरी के उपस्थित समस्त हमारे माताओं–बहनों। मैं मिलाराबाद की ओर से आप उपस्थित हुए उसके लिए इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरी जानकारी में यह क्रेशर 25 साल से चल रहा है तो 25 साल के पहले हमारे गांव की जो स्थिति थी और अभी जो स्थिति है यह 25 सालों से चल रही है। हमारे गांव की जो स्थिति थी और वर्तमान में जो स्थिति है सब बदल गई है। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि हम कभी लेंटर वाला गिट्टी का घर बनाएंगे और नीचे फर्शीकरण करेंगे, तो कभी–कभी नीचे फर्शीकरण करने के लिए महासमुंद से फर्शी लाना पड़ता था और बड़े आदमी तो बिलाईगढ़ क्रशर वहॉ से ले आते थे लेकिन छोटे आदमी नहीं सोच सकते थे कि कहां से हम लेंटर के लिए गिट्टी लाएंगे, छोटे आदमी कम प्रॉपर्टी वाला भी उनके लिए यह सुविधा हो गई है कि हम लेंटर का छत बना सकते हैं तो वह क्रेशर से बहुत ज्यादा खुश हैं और दूसरी बात मेरी जानकारी में मुझको जितनी जानकारी है किसी के पास पैसा नहीं है और मान लीजिए बोलता है कि मुझको एक ट्राली गिट्टी की जरूरत रहती है तो इसके पहले भी जो हमारे सुनील अग्रवाल थे अरे यार गांव के हो तुम ले लो जितना लेना है बाद में पैसा पटाते रहना ऐसा उनका व्यवहार था और अभी भी हो रहा है कि पहले गिट्टी ले जाओ और जब पैसा होगा तो दे देना और कम रेट में मिल रहा है और जरूरी नहीं है कि वह तुरंत पैसा डालें हमारे दो–तीन–चार गांव को कम पैसा में और कम रेट में वह लोग गिट्टी उपलब्ध करा रहे हैं जिससे अभी वह जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रही है तो प्रायः यह हमारे गांव को छोड़ दिया जाए तो पर भी 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव बन रहे हैं सभी आसान तरीके से किसी क्रेशर के कारण प्रधानमंत्री आवास में लेंटर वाला घर बना रहे हैं एक छत की

उपलब्धि हो रही है जिससे मैं आपके खनिज विभाग और हमारे क्रेशर वालों को धन्यवाद देता हूँ कि वह सुविधा से गिट्टी उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी बात यह पर्यावरण संबंधी जो बातें आ रही हैं तो मैं बार–बार अनुरोध करता हूँ मैं देखा भी हूँ जब मैं बसना जाता हूँ तो शाम के समय इनकी गाड़ी चलती रहती है बसना तरफ और पानी का बौछार करते हुए आते रहते हैं रोड में कि किसी को न हो तो तब पर भी अगर कहीं कमी होगी हम तो कम निकलते हैं लेकिन अगर उसमें कमी होगी तो हम यह मांग कर रहे हैं कि वह इस पर ध्यान दें कि धूल न उड़े और ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित न हो तो इसका बड़े समय से मैं लोगों को अनुरोध करता हूँ हमारे क्रशर का उसका ध्यान देंगे और तीसरी बात मैं हमारे क्योंकि क्रेशर वाले उपलब्ध हैं तो एक छोटी सी मेरी विनती है कि अभी तो स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हैं ऐसा नहीं है कि शासन के तरफ से पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लेकिन कहीं पर कोई मजबूरी होती है कहीं पर कुछ हो जाता है तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि उनको तुरंत गाड़ी की व्यवस्था करा दें और कम से कम एक चीज का ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा और यहॉ पर हमारे प्रगतिशील हमारे महिला समूह वाले हैं तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग अधिकारी गण भी हैं तो क्रेशर के माध्यम से अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है और एडमिशन में अच्छा होशियार विद्यार्थी का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो उसका ध्यान देकर उसको कुछ सहयोग होती है तो उनका सब मिलकर उसको आगे बढ़ाने में मदद करें और मेरे ख्याल से जहां–जहां भी कुछ लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको ध्यान दें और आप लोग मुझे बोलने का मौका दिए इसी का मैं धन्यवाद देता हूँ। इनका 5 साल हो रहा है और बाकी सुनील अग्रवाल लोग चला रहे थे विगत समय से।

10. श्री अशोक कुमार बारिहा, ग्राम अनकोरी ने कहा कि वर्तमान में मैं स्टोन क्रेशर में कार्यरत हूँ और जैसे मैं हूँ वैसे ही हमारे आसपास के जितने भी गांव है वहॉ भी बेरोजगार लड़के हैं जो अपनी इच्छा अनुसार काम करना चाहते हैं तो उनके योग्यता अनुसार यहॉ स्टोन क्रेशर के द्वारा रोजगार दिया जाता है।

अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि अभी तक कुल 10 लोगों ने अपना मत रखा है, अपनी बात रखी है और कुछ बंद लिफाफे में भी आवेदन आए हैं आगे कहने का मतलब आपका विचार आया होगा 20 बंद लिफाफों में भी आया है तो कुल मिलाकर अभी 30 हो जा रहे हैं अभी तक कह सकते हैं आपकी तरफ से 30 लोगों का मत आ चुका है 5 मिनट का और समय है किसी को अपनी और बात रखनी हो या लिखित में देना हो तो दे दीजिए फिर अगले चरण में जाएंगे हमे।

11. श्री नोहर सावग्रेट, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत नौगादी ने कहा कि सर मैं यह जानना चाहता हूॅ कि हमारे यहॉ यह क्रशर मशीन लगा है पहले पॉच वर्ष में इसका रॉयल्टी आता था हमारे यहॉ क्रेशर मशीन लगा है हमारे जमीन में बाकी रॉयल्टी पहले आ रहा था अब अभी नहीं आ रहा है तो मैं जानना चाहता हूॅ कि इसके बारे में कुछ बताएं।

श्री योगेन्द्र सिंह, खनिज अधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि आपका यह जो सवाल है काफी अच्छा है। अच्छा सवाल उठाया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में अगर कोई गिट्टी खदान सेंक्शन होता है रेत खदान सेक्शन होता है जब भी गौण खनिज की खदान सेक्शन होती है उसका स्वीकृति के पक्षपात में उसका रॉयल्टी निकलता है खनिज विभाग से वह रॉयल्टी जमा हो जाता है शासन के पास में फिर क्या होता है कि शासन जो है जितना रॉयल्टी उस ग्राम पंचायत से उस खदान से जमा हुआ है चाहे वह 100 रू. हो, 200 रू. हो, चाहे 02 लाख हो, चाहे 02 करोड़ हो उतनी ही राशि को शासन जो है आने वाले वित्तीय वर्ष में उसी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए खर्च के लिए दोबारा उसको सेक्शन करती है इसका नाम है आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए त्रिस्तरीय गौण खनिज राशि। त्रिस्तरीय गौण खनिज राशि बोलते हैं इसको त्रिस्तरीय पंचायत का गौण खनिज राशि है यह रॉयल्टी जमा होती है खनिज विभाग में शासन में फिर उसी अनुपात में जितना जमा किया था उसी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए शासन उनको फिर से आवंटित करती है। आपका सवाल सही है कि पहले राशि यहॉ ग्राम पंचायत में मिलती थी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी लास्ट मार्च में 2019–20 का टोटल महासमुंद का जो यह गौण खनिज की राशि है वह 3 करोड रुपए हमें शासन से आवंटन प्राप्त हो गया है क्योंकि यह राशि मार्च के एंडिंग में प्राप्त हुआ है इसलिए हमें राज्य सरकार से आपको आवंटन की अनुमति भी नहीं मिल पाई है यह प्रोसेस में है तो यह राशि 19–20 का है अभी 19–20 के बाद आपको 20–21 का भी मिलने वाला है। 21–22, 22–23 बाकी प्रोसेस होने वाला है जो आपको लास्ट राशि मिली थी वह 18–19 का है अभी जो राशि आई है 3 करोड रुपए पूरे महासमुंद जिले के लिए वह आ गई है मार्च में और यह 3 करोड रुपए राशि है तो रूही स्टोर क्रेशर वाले ने जितना रॉयल्टी 19–20 में जब यह चला था और जमा किया होगा उसका हमने कैलकुलेशन कर लिया है आप कभी भी खनिज विभाग में आ सकते हैं हमारे कार्यालय में, मैं आपको राशि की जानकारी उपलब्ध करा दूंगा और यह बहुत जल्दी इसी महीने में यह राशि आपके ग्राम पंचायत को आवंटित हो जाएगा।

अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि सचिव महोदय आए हैं क्या सचिव महोदय यहॉ पर उपस्थित हैं क्या ग्राम पंचायत के सचिव, अभी माइनिंग ऑफिसर ने बताया उसी को बोल रहा हूॅ पहले रॉयल्टी सीधा–सीधा

ग्राम पंचायत को आ जाती थी अभी जैसे कि उन्होंने प्रक्रिया बताई पहले यह शासन को जाता है शासन फिर इसको गौण खनिज के रूप में आपको पुनः आवंटित करता है तो इसी में समय लगता है और जैसे–जैसे राज्य शासन इसको देता है ग्राम पंचायतों को जहां कहीं भी इस तरह की गौण खनिज की राशि बनती है तो उनको फिर ये पुर्नआवंटित करते हैं तो अभी बताए इन्होंने 19–20 वर्ष का जो राशि है वह अभी आया है ठीक है तो मेरे ख्याल से सचिव महोदय रहते तो अभी बता पाते कि लास्ट टाइम कब तक आया था इसलिए सचिव महोदय को पूछ रहा हूं। आपका प्वाईंट अलग है आप आएंगे मैं अलग से समझा दूंगा आपको अभी तो हम लोग जिस प्वाईंट पर जनसुनवाई कर रहे हैं उस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री नोहर सावग्रेट ने पुनः कहा कि मेरे कहने का मतलब है सर कि इस पंचायत में पैसा आता है उसी टाइम आना चाहिए पैसा।

अपर कलेक्टर द्वारा संबोधित किया गया कि ठीक है सभी का एक साथ आ रहा है किसी का आगे पीछे नहीं आ रहा है।

श्री नोहर सावग्रेट ने पुनः कहा कि नहीं सर इन लोगों का आ गया है बिजराभाटा पंचायत का और चंद्रखुरी पंचायत का उन लोगों को हर साल मिलता है जहां तक।

अपर कलेक्टर द्वारा संबोधित किया गया कि थोड़ा सा हो सकता है कि जानकारी में आगे पीछे हो क्योंकि पॉइंट अलग है यह मतलब हमारे इस विषय का नहीं है कृपया आप आ जाएं खनिज विभाग में आपको उपलब्ध करा देंगे जानकारी।

श्री योगेन्द्र सिंह, खनिज अधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि मेरा नंबर भी रख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा आपको जो भी इसमें समझ नहीं आ रहा होगा फोन में भी आपको समझा दूंगा आपको पूरी डिटेल मैं आपको जानकारी दे दूंगा आपका एक सवाल था मैं समाप्त करता हूँ कि राशि इतना लेट क्यों आता है। यह राशि का आवंटन भी शासन स्तर से होता है जिला कार्यालय से नहीं होता है तो यह राशि केवल राज्य सरकार की जो अथॉरिटी होती है, वह आवंटन करती है तो यह ऊपर के लेवल का चीज है हमारे जिले स्तर में जैसे ही हमको आवंटित होता है मैंने बताया कि 03 करोड रुपए राशि आ चुकी है। जितना जल्दी हो सके कलेक्टर साहब से अनुमोदन कराकर हम आपको उपलब्ध करा देंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि लोक सुनवाई के दौरान 11 वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये। इस दौरान मुख्यतः स्थानीय लोगों को रोजगार, मेहनताना, मजदूरी, हैवी ब्लास्टिंग पर

प्रतिबंध, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, वृक्षारोपण, पर्यावरण अधिनियम, खनिज अधिनियम, वाहनों को ढंककर परिवहन तथा ओवरलोडिंग नहीं करने, सीएसआर के तहत् गांव में काम करने आदि मुख्य मुद्दे आए हैं। इसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।

अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि इसमें जो कुछ मांग एक तरह से कहना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक तरह से इनकी कुछ कंडीशन है जैसे कि 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को यहॉ पर काम में रखना, न्यूनतम मजदूरी दर है, आपका पानी का छिड़काव है, प्लांटेशन संबंधित है और कुछ सावधानियॉ जो बरती जाती है किसी भी मशीन को चलाने के लिए, ओवरलोडिंग है इसमें और भी जैसे कि जो अंतर्यामी प्रधान जी हैं उन्होंने 02 पॉइंट अच्छा रखा था कि शिक्षा की मतलब व्यवस्था कुछ आपकी तरफ से और स्वास्थ्य के लिए कुछ वाहन यदि कुछ इमरजेंसी होता है तो वाहन अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, यह पॉइंट्स रखे हैं तो इन्हीं पॉइंट्स और आप लोग भी नोट किए होंगे, खास कर जो लेबर हैं उनकी सुविधाओं से संबंधित है तो इन सब चीजों को लेकर आप अपना जो जवाब है जो प्रोविजन इसमें रखते हैं सुविधाएं इनको जो ग्राम पंचायतों को मिलेगी, उसके संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री शुभम अग्रवाल द्वारा संबोधित किया गया कि हमारे द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित खनिज साधारण पत्थर खदानों का संयुक्त लोक सुनवाई में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाए गए विकल्पों के संबंध में हमारी ओर से जवाब देने के लिए हम नेबैट प्रमाणित अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एंड लेबोरेटरी, ठाणे के अपने पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करते हैं।

कुमारी भूमिका सिन्हा, पर्यावरणीय सलाहकार, अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एंड लेबोरेटरी, ठाणे द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया गया कि संयुक्त लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्राम वासियों के द्वारा सुझाए गए विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला महासमुंद, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, समस्त अन्य गणमान्य आगंतुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि प्रस्तावित साधारण पत्थर खदानों का संचालन अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जाएगा एवं खदान संचालन के दौरान खनिज शाखा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण

स्थानीय महिलाओं को भी योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा। ग्राम वासियों की मांग पर हमारे द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी एवं योग्य छात्रों को स्कूल में दाखिला के लिए प्रयास किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान नियत समय पर किया जाएगा। शासकीय नियमानुसार मजदूरों को मजदूरी एवं अन्य राशि दी जाएगी। साधारण खनिज पत्थर का परिवहन ग्रामीण मार्ग के अलावा अन्य गैर रहवासी क्षेत्र से होकर किया जाएगा। सड़कों का उचित रखरखाव तथा वाहनों का संचालन तारपोलीन से ढंककर किया जाएगा। ओवरलोडिंग को रोका जाएगा। खदानों में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के समस्त बिंदुओं, स्थानों पर हमारे द्वारा नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। खदान की सीमा क्षेत्र में 4,149 नग पौधे लगाए जाएंगे। स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ के साथ नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जाएगा। पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार सीईआर मद में पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत भी वृक्षारोपण किया जाएगा। ग्राम वासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं की मांग पंचायत में विकास के अन्य कार्यों के बारे में यह कहना चाहेंगे कि खदान में संचालन के दौरान पट्टेदार द्वारा रॉयल्टी के साथ साथ जिला खनिज निधि के रूप में निर्धारित राशि प्रतिमाह शासन को जमा की जाएगी, जिसका उपयोग शासन द्वारा इन मदों में किया जाता है। माननीय अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद, माननीय क्षेत्रीय, अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से हमारा अनुरोध है ग्राम वासियों के द्वारा की गई मांगों को यथा उचित संज्ञान में लेते हुए, निर्णय करते हुए, ग्रामीणों की मांग का निराकरण करने के लिए उपाय करेगी। डीजीएमएस से पंजीकृत ब्लास्टर से वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित विस्फोट कराया जाएगा। ब्लास्टिंग को डीजीएमएस द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही कराया जाएगा। मेरे प्रकरण में लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गए हैं, उसके संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं अन्य जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में शपथ पत्र भी राज्य स्तर पर राज्य समाघात पर्यावरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ग्रामवासियों द्वारा दिए गए सुझाव एवं समर्थन का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं एवं आगे की कार्यवाही के लिए मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करती हूँ।

अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद द्वारा संबोधित किया गया कि जवाब में देखा आपने कैसे उन्होंने क्रेशर को चलाने हेतु जो–जो आपने मांग रखी है, उनको ऑलमोस्ट सभी को पालन किया है और भविष्य में जैसे–जैसे वे क्रेशर को चलाएंगे उस तरह से सुविधाएं आपके पंचायतों को दी जाएगी, तो आज की जो लोक सुनवाई थी इस परियोजना को चलाने के संबंध में आप लोगों के द्वारा विचार, आपत्ति या कह लीजिए सहमति यह आपसे आमंत्रित किए गए थे, तो लगभग 100 लोग उपस्थित हैं आसपास के क्षेत्र से और इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि 11 लोगों के द्वारा

मौखिक रूप से और करीब 24 लोगों के द्वारा लिखित रूप से अपना विचार दिया गया है। इसमें आपके विचारों के बारे में उनके परियोजना कंसल्टेंट के द्वारा जो सुझाव अपने दिए उसके संबंध में वे क्या करेंगे इसके बारे में बात रखी गई है, तो आज की सुनवाई एक अच्छे सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई और आप लोगों से विचार भी आमंत्रित किए गए जिनका किस तरह से वे पालन करेंगे यह भी इन्होंने बताया है, तो आज की लोक सुनवाई मैं इसी पॉइंट पर, बिंदु पर समाप्त करता हूँ और आगे के आपके भविष्य के लिए क्रेशर के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हमारी जो प्रक्रिया होती है, वह हम आगे शासन को प्रेषित कर देंगे, धन्यवाद। लोक सुनवाई का कार्यक्रम दोपहर 1:05 बजे समाप्त हुआ। लोक सुनवाई के दौरान कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए। सम्पूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

प्रकाश कुमार रबड़े,
क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जिला–रायपुर

रवि कुमार साहू
अपर कलेक्टर,
जिला–महासमुंद